न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती दीप्ति शर्मा आर0ए0एस0

सप्लाई विविध प्रार्थना पत्र संख्या 01/2024 (2024/01)

प्रार्थी :–

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

नियामत अली पुत्र श्री हसन अली निवासी कमला नेहरू नगर, मदीना मस्जिद के पास, जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :–   दिनांक :– 21.05.2024

श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक /कोर्ट/डीएम/116 दिनांक 18.01.2024 की अनुपालना में इस्तगासा स्थानान्तरित किया जाकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। संक्षिप्त में इस्तगासा के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी महिमा जैन, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी नियामत अली पुत्र श्री हसन अली निवासी कमला नेहरू नगर, मदीना मस्जिद के पास, जोधपुर के पेश करते हुए जाहिर किया कि दिनांक 27.10.2023 को मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर जिला रसद अधिकारी महोदया के मौखिक आदेशानुसार रफीक जी की पोल, हैदर जिम के पास कमला नेहरू नगर जोधपुर पहुंचा गया जहां मौके पर नियामत अली पुत्र श्री हसन अली मौजूद था तथा अवैद्य गैस रिफिलिंग सम्बन्धी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। उक्त परिसर में 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रिानिक कांटा तथा 1 रिफि[illegible] [illegible]युक्त होने वाली मोटर मय पाईप

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:12 IST
Reason: SelfAttested

मिले जिनको जब्त सरकार किया जाकर श्री चतुराराम पुत्र श्री चैनाराम उम्र 41 साल जाति विश्नोई हाल हॉकर महावीर गैस सर्विस जोधपुर को सूपूर्द किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार हैः—

क्रम संख्या	सिलेण्डर का एस. आर. क्रमांक	गैस कम्पनी का नाम	टंकी का वजन किग्रा	कुल वजन किग्रा	गैस का वजन
1.	292889	एचपी	15.08 किग्रा	24 किग्रा	8.2किग्रा
2.	753095 एस	एचपी	15.7 किग्रा	15.7 किग्रा	0 किग्रा
3.	59235 एस	एचपी	15.7 किग्रा	15.7 किग्रा	0 किग्रा

इस प्रकार उपरोक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का अवैद्य रूप से रिफिलिंग करना द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होने से जब्तसुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रिानिक कांटा तथा 1 रिफिलिंग मे प्रयुक्त होने वाली मोटर मय पाईप को राज्यसात करने एवं गैस सिलेण्डरों में प्रयुक्त एल.पी.जी. गैस का अंतरिम निस्तारण करने की प्रार्थना की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। अप्रार्थी को जवाब एवं बहस हेतु कई अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों के कोई वैद्य कागजात अप्रार्थी द्वारा पेश नहीं किये गये है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करने व उनका अवैद्य रूप से रिफिलिंग करने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4 (a)(b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस एक इलेक्ट्रोनिक कांटा तथा 1 रिफिलिंग मे प्रयुक्त होने वाली मोटर मय पाईप को राज्यसात (Confiscate) किये जाने का आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:12 IST
Reason: SelfAttested

दिया जाता है। प्रार्थी जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त गैस सिलेण्डरों को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उससे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जावे तथा 1 इलेक्ट्रिानिक कांटा तथा 1 रिफिलिंग मे प्रयुक्त होने वाली मोटर मय पाईप को निलामी के माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में राजकोष में जमा करावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को भिजवाई जावे। इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दीप्ति शर्मा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 21.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दीप्ति शर्मा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:12 IST
Reason: SelfAttested